चेक लिस्ट क्रमांक –13

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति पत्र

''भारतनेट प्रोजेक्ट फेस –।।'' के तहत् संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजीटलीकृत करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के 85 ब्लॉकों के अन्तर्गत 5,987 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए कुल 32,000 कि.मी. मार्ग में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कार्य सम्पादन हेतु राज्य शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गई है । (प्रपत्र संलग्न)

इसी तारतम्य में मुंगेली जिला के मुंगेली वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत लोरमी ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

TATA PROJECTS LIMITED

प्राधिकृत अधिकारी
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
वास्ते – संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्रमांक–4–4/2018/56/इ.सू.प्रौ.: राज्य शासन एतदद्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–54/2014/56/इ.सू.प्रौ. दिनांक 26/06/2015 मे उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत भारतनेट परियोजना अंतर्गत निम्नालिखित मार्ग के किनारों पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए राईट ऑफ वे की निःशुल्क अनुमति प्रदान करता है :–

जिला का नाम	जिलेवार प्रदत्त राईट ऑफ वे की अनुमति (कि.मी.)
बालोद	2239.042
बलौदाबाजार	1580.163
बस्तर	1297.671
बेमेतरा	1360.586
बीजापुर	582.665
बिलासपुर	1798.250
दंतेवाड़ा	357.884
धमतरी	821.845
दुर्ग	427.459
गरियाबंद	1978.244
जांजगीर–चांपा	2089.163
जशपुर	570.788
कबीरधाम	1669.394
कांकेर	2014.129
कोण्डागांव	560.121
कोरबा	1016.073
कोरिया	2577.970
महासमुन्द	1395.313
मुंगेली	747.039
नारायणपुर	101.137
रायगढ़	2006.000
रायपुर	1340.250
राजनांदगांव	2331.905

जिला का नाम	निरंतर [illegible] अनुमति (कि.मी.)
सुकमा	467.763
सूरजपुर	895.473
सरगुजा	968.482
कुल	33195.827

यह कार्य, विभाग की नोडल एजेंसी चिप्स द्वारा शासकीय मार्गों पर किया जा रहा है। अतः इस कार्य हेतु नोडल एजेंसी को बैंक गारंटी से मुक्त रखा जाता है, परन्तु ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य करने वाली एजेंसी को भुगतान करने के पूर्व गड्ढों का भराव, सड़क या उनके किनारो की मरम्मत आदि करना होगा। चिप्स मे एजेंसी द्वारा जमा बैंक गारंटी का विमुक्तिकरण, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के दौरान सड़क, उसके किनारों में टूट–फूट, और खोदे गये गड्ढों का भराव संतोषप्रद रूप से करने के उपरान्त ही किया जाए।

चिप्स द्वारा पृथकतः सक्षम अधिकारी से राष्ट्रीय राजमार्ग, वन मार्ग एवं रेलवे क्रासिंग के राईट ऑफ वे के लिये अनुमति प्राप्त की जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एलेक्स पॉल मेनन)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ शासन
इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

[illegible]
[illegible]

1. [illegible]
[illegible]
2. पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय / वन्यप्राणी, छत्तीसगढ़
4. कलेक्टर, समस्त, छत्तीसगढ़
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, रायपुर
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त, छत्तीसगढ
7. आयुक्त, नगर पालिका निगम, (समस्त), छत्तीसगढ़
8. वनमण्डलाधिकारी, समस्त, छत्तीसगढ
9. मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग, रायपुर , छत्तीसगढ
10. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, समस्त, छत्तीसगढ़
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, (समस्त) बालोद, बलौदाबाजार, बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर–चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, महासमुन्द, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ, रायपुर, राजनांदगांव, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा
12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी / मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, समस्त बालोद, बलौदाबाजार, बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर–चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, महासमुन्द, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ, रायपुर, राजनांदगांव, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा
13. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ शासन, इ.सू.प्रौ. नया रायपुर

– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एलेक्स पॉल मेनन)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ शासन
इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग